



डेडीकटेड फ्रेट कॉरीडोर

**डेडीकटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**  
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

**DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED**

**(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)**

पत्रांक सं०— CNB/EN/RTI/16(A)/ Y-20/M-06/(24)

Date- 17-06-2020

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,  
टुण्डला (आगरा)

विषय:— श्री धर्मप्रकाश, ग्राम—रायपुर, पोस्ट—अकरू, जनपद—कानपुर देहात, उ०प्र० द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-1.डी०जी०एम०/पी०जी०/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, नई दिल्ली ई—मेल दिनांक 23 मई 2020

2. इस कार्यालय का पत्र सं० CNB/EN/RTI/16(A)/ Y-20/M-05/(13) Date 28.05.2020

3. आपके कार्यालय की ई—मेल दिनांक 08 जून 2020।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, श्री धर्मप्रकाश, नि०—ग्राम—रायपुर, पोस्ट—अकरू, जनपद—कानपुर देहात, उ०प्र०, जिसका Registration No DFCCIL/R/E/20/00240 दिनांक 21.03.2020 डी०जी०एम०/पी०जी०/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, नई दिल्ली ई—मेल दिनांक 23 मई 2020 के संलग्नक के रूप में इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। प्रार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत के तहत सूचना मांगी की इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र सं०—2 CNB/EN/RTI/16(A)/ Y-20/M-05/(13) Date 28.05.2020 के माध्यम से दी जा चुकी है।

जिसके उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त ई—मेल से प्रार्थी श्री धर्मप्रकाश पं० परशुराम, द्वारा पुनः मूल्यांकन से सम्बन्धी सूचना चाही गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार गाटा सं० 40, रकबा 0.0006हे० का निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जा रहा है:-

क्रम सं०	प्रभावित भूस्वामियों के नाम	गाटा सं०	रकबा	जिला मूल्यांकन सूची के आधार पर मूल्यांकन की दर (रु०)	अपर जिलाधिकारी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित भूमि का प्रतिकर 100%सोलिशियम सहित (रु०)	अपर जिलाधिकारी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित परिसम्पत्ति का प्रतिकर 100%सोलिशियम सहित (रु०)	देय कुल प्रतिकर (रु०)	खातेदारों के हिस्सा 1/3 के अनुसार देय प्रतिकर (रु०)	डी०जी०एम० सं० व दिनांक	टिप्पणी
1.	धर्मप्रकाश पुत्र परशुराम	40	0.0006हे०	3800 /— वर्ग मी०	91,200 /—	55,364 /—	1,46,564 /—	48,854.67	37694209 दिनांक 02.06.20	डी०एफ०सी० सी कार्यालय में डी०जी०एम० तैयार जा चुकी है किन्तु भूस्वामियों द्वारा सहमत के उपरान्त भी देय नहीं किया जा रहा है।
2.	प्रवीण पुत्र परशुराम							48,854.67	37694208 दिनांक 02.06.20	
3.	उपदेश पुत्र परशुराम							48,854.67	37694210 दिनांक 02.06.20	

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur - 208025  
Telefax: 0512-2225124 Mobile 7060803012 E mail— bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

सम्बन्धित दस्तावजों भी निम्नलिखित प्रार्थी को संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजे जा रहे हैं:-

1. ग्राम-कमालपुर, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 07.12.2019 एवं कमेटी द्वारा निर्धारित आंकलन तालिका दिनांक 02.08.2018 की छायाप्रति।
2. तहसीलदार-डेरापुर द्वारा की जाँच आख्या दिनांक 21.05.2019 व 16.08.2018 की छायाप्रति।
3. तहसीलदार-डेरापुर, द्वारा की जाँच आख्या दिनांक 11.09.2019 की छायाप्रति। उक्त आख्या के अनुसार, गाटा सं0 40, रकबा 1.721हे0 में से कुल 06 वर्ग मीटर में बनी लेट्रिन व टैंक ही प्रभावित हो रही हैं।
4. गाटा सं0 40, के भूस्वामी श्री धर्मप्रकाश के सहमति पत्र की छायाप्रति।
5. डी0डी0 की छायाप्रति।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्तानुसार।

38  
17/6/2020  
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।

यूनियन बैंक Union Bank

क्रम सं. Sr. No. 37694208

NDD570263

02.06.2020

SARVODAYA NAGAR - KANPUR

\*\*\* Not Over INR. 48,854.00 \*\*\*

05.03.2020

को या उनके आदेश पर OR ORDER

ON DEMAND PAY PRAVLEN S/O PARSURAM

रुपये RUPEES Forty Eight Thousand Eight Hundred Fifty Four only

प्राप्त मूल्य के लिए FOR VALUE RECEIVED

₹

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया For Union Bank of India

BC. No. 37694208

प्रति यूनियन बैंक To Union Bank

Purchaser: DECCIL/LA(ETAVA, AURAYA, KANPUR DEHA) APM FINANCE CMB KANPUR - SERVICE BRANCH

(547361) Valid for 3 months only from the date of issue PAYABLE AT PAR AT ALL OUR BRANCHES IN INDIA

EM/PI/AA

Please sign above

⑈694208⑈ 000026000⑈ 000037⑈ 16

यूनियन बैंक Union Bank

क्रम सं. Sr. No. 37694209

NDD570263

02.06.2020

SARVODAYA NAGAR - KANPUR

\*\*\* Not Over INR. 48,855.00 \*\*\*

05.03.2020

को या उनके आदेश पर OR ORDER

ON DEMAND PAY DHANPRAKASH S/O PARSURAM

रुपये RUPEES Forty Eight Thousand Eight Hundred Fifty Five only

प्राप्त मूल्य के लिए FOR VALUE RECEIVED

₹

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया For Union Bank of India

BC. No. 37694209

प्रति यूनियन बैंक To Union Bank

Purchaser: DECCIL/LA(ETAVA, AURAYA, KANPUR DEHA) APM FINANCE CMB KANPUR - SERVICE BRANCH

(547361) Valid for 3 months only from the date of issue PAYABLE AT PAR AT ALL OUR BRANCHES IN INDIA

EM/PI/AA

Please sign above

⑈694209⑈ 000026000⑈ 000037⑈ 16

यूनियन बैंक Union Bank

क्रम सं. Sr. No. 37694210

NDD570263

02.06.2020

SARVODAYA NAGAR - KANPUR

\*\*\* Not Over INR. 48,855.00 \*\*\*

05.03.2020

को या उनके आदेश पर OR ORDER

ON DEMAND PAY UPDESH W/O PARSURAM

रुपये RUPEES Forty Eight Thousand Eight Hundred Fifty Five only

प्राप्त मूल्य के लिए FOR VALUE RECEIVED

₹

₹48,855.00

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया For Union Bank of India

BC. No. 37694210

प्रति यूनियन बैंक To Union Bank

Purchaser: DECCIL/LA(ETAVA, AURAYA, KANPUR DEHA) APM FINANCE CMB KANPUR - SERVICE BRANCH

(547361) Valid for 3 months only from the date of issue PAYABLE AT PAR AT ALL OUR BRANCHES IN INDIA

EM/PI/AA

Key: JQT576728

Please sign above

⑈694210⑈ 000026000⑈ 000037⑈ 16

250

121

डेवेलपमेंट ग्रेट कोरिडोर परियोजना के अन्तर्गत एल0सी0-98 ग्राम-कमलपुर, सहस्रौल-डेरापुर, जिला-कानपुर, देहात पर भूमिगत समार एवं सार्वजनिक मार्ग के निर्माण हेतु आपसी समझौते के आधार पर अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के मुख्यकमन की अधिकतम साहिक

क्र0 सं0	जानपद का नाम	सहस्रौल का नाम	राजस्व भान का नाम	गाटा संख्या	प्रस्तावित रकवा (जिसको सीधे खरीद लिया जाना है) (वर्गमी0 मी)	भूमि का प्रकार	सड़क से स्थिति	जिला मुख्यकमन सूची के अनुसार दर (रु0 मी) (प्रति वर्गमी0 मी)	भूमि का कुल मूल्य (रु0 मी)	LAR & R-ACT-2013 के तहत भूमि का मूल्य (वार गुना साहिक रेट के अनुसार)				परिसम्पत्ति का मूल्य 100 प्रतिशत सालेथियम सहित	कुल मूल्य (कोटिन नं0-13+14)	टिप्पणी
										आधीन संसाधनार गुणक अनुसार मूल्य (मूल्य का दंगुना)	सालेथियम (100 प्रतिशत)	भूमि का कुल मूल्य	सालेथियम (100 प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				39	200	नवीन परती (सरकारी)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3202900.00	3202900.00		
2				40	1610	आबादी	सड़क/खडक्या मार्ग	3800.00	6118000.00	12236000.00	12236000.00	24472000.00	11167030.00	35639030.00		
3	कानपुर देहात	डेरापुर	कमलपुर (आधीन)	295	200	कृषि भूमि	सड़क के किनारे	300.00	60000.00	120000.00	120000.00	240000.00	3382200.00	3462200.00		
4				296	170	नवीन परती (सरकारी)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153400.00	153400.00		
5				297	260	कृषि भूमि	सड़क के किनारे	300.00	78000.00	156000.00	156000.00	312000.00	0.00	312000.00		
6				293	310	रास्ता	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1074964.00	1074964.00		
कुल योग										12512000.00	12512000.00	25024000.00	18980494.00	44004494.00		

BS

*[Signature]*  
उप निबंधक,  
डेरापुर

*[Signature]*  
उप जिलाधिकारी,  
डेरापुर

*[Signature]*  
उप जिलाधिकारी (ए0अ0),  
कानपुर नगर

*[Signature]*  
उप जिलाधिकारी (वि0अ0),  
जिला राजिरदार

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक,  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,  
कानपुर

*[Signature]*  
जिलाधिकारी,  
कानपुर देहात

*[Signature]*  
11/10/18

**बैठक दिनांक-07.12.2019 का कार्यवृत्त**

पूर्व एजेण्डा के अनुसार आज दिनांक-07.12.2019 को दर निर्धारण समिति की बैठक मा० अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया:-

एजेण्डा के अनुसार डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना हेतु सीधी खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय की जाने वाली ग्राम-अम्बियापुर, कमालपुर, खम्हैला व नासर खेड़ा, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात के परिसम्पत्ति/भूमि के मूल्य निर्धारण के लिये बैठक बुलायी गयी थी।

1. ग्राम-अम्बियापुर में कोई परिसम्पत्ति व वृक्ष प्रभावित नहीं हैं। उक्त ग्राम में कोई निजी भूमि भी प्रभावित नहीं है। प्रभावित भूमि गाटा सं०-147क (बंजर) कुल रकवा 195.50वर्गमी० है। उप जिलाधिकारी, डेरापुर की आख्या दिनांक-08.11.2019 के अनुसार रकवा 67.00वर्गमी० के काबिजदार श्रीमती रमाकान्ती पत्नी राम स्वरूप, 60.00वर्गमी० के काबिजदार श्री इन्द्रपाल पुत्र भगवानदीन एवं गाटा सं०-169 (नवीन परती) रकवा 200वर्गमी० के काबिजदार श्री सुन्दरलाल पुत्र प्रेम नरायन को राजस्व संहिता की धारा-67क के अधीन पात्र अंकित किया गया है। उक्त ग्राम में कोई भी निजी भूमि प्रभावित नहीं है। जिस भूमि में वर्तमान में उप जिलाधिकारी, डेरापुर द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि <sup>यदि</sup> उपर्युक्त व्यक्तियों के भवन धारा-67क राजस्व संहिता अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैं, यदि उक्त प्रकृति की भूमि को सक्षम अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा धारा-67क राजस्व संहिता अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है तो जिलाधिकारी के जिला मूल्यांकन सूची वर्ष-2019-20 के अनुसार मूल्य निर्धारण कर लिया जायेगा। अतः पुनः समिति से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
2. ग्राम-कमालपुर में गाटा सं०-40 कुल रकवा 87.50वर्गमी० प्रभावित हो रहा है, जिसकी श्रेणी-6(2) (आबादी) है तथा उक्त पर स्थित श्री अमर सिंह व हरपाल सिंह पुत्रगण जगनू का पक्का मकान-1 मूल्य रु० 1,27,338/-, प्रवीण व धर्मप्रकाश पुत्रगण परशुराम आदि का शौचालय व टैंक-1 मूल्य रु० 27,682/-, रामसेवक पुत्र सुल्तान सिंह का शौचालय-1 मूल्य रु० 14,264/- तथा यदुवीर सिंह पुत्र जगम्नन सिंह का हैण्डपम्प-1 मूल्य रु० 20,000/- प्रभावित है, जिसका डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन किया गया है। उक्त परिसम्पत्ति के मूल्यांकन का सत्यापन सरकारी संस्था पी०डब्ल्यू०डी० से कराया गया है, जिसका कुल सत्यापित मूल्य रु० 1,89,284/- है तथा 100 प्रतिशत सोलेशियम सहित रु० 3,78,568/- निर्धारित है। तदनुसार मूल्य का निर्धारण इस समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रभावित भूमि गाटा सं०-40 का कुल रकवा 87.50वर्गमी० (श्रेणी-6-2 आबादी) लिया जाना है। तहसीलदार-डेरापुर की जांच आख्या दिनांक-21.05.2019 के अनुसार श्री मनोज कुमार पुत्र तेज सिंह, विन्दा देवी पत्नी तेज सिंह की कुल 99.62वर्गमी० भूमि प्रभावित है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त सम्पूर्ण रकवा किस गाटा सं० की भूमि है। यदि गाटा सं० का सम्पूर्ण रकवा गाटा सं०-40 की भूमि तहसील जांच में पायी जाती है तो पूर्व आख्या दिनांक-16.08.2018 के अनुसार प्रभावित गाटा सं०-40 की भूमि रकवा 68.00वर्गमी० का अनुमोदन दिनांक-02.08.2018 के अनुसार निर्धारण कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त रकवा 2.00वर्गमी० श्री अनुज कुमार पुत्र रामनाथ, 45.00वर्गमी० श्री अमर सिंह, हरपाल सिंह पुत्रगण जगनू, 6.00वर्गमी० श्री प्रवीण, धर्मप्रकाश पुत्रगण परशुराम आदि, 2.50वर्गमी० श्री रामसेवक पुत्र

सुल्तान सिंह के कब्जे की भूमि प्रभावित है, जिसके लिये डी०एफ०सी०आई०एल० द्वारा पूर्व में गाटा सं०-40 में की गयी भूमि अधिग्रहण सम्बंधी अनुमोदन दिनांक-02.08.2018 के क्रम में दर का निर्धारण कर लिया जायेगा।

3. ग्राम-खम्हैला में गाटा सं०-977ख (रास्ता) तथा उक्त पर स्थित श्री पुत्तीलाल पुत्र भालू प्रसाद का वृक्ष नीम-1 व्यास 0.75मी० मूल्य रू० 10,000/-, श्री कुंवरपाल पुत्र खेमराज आदि की नींव-2 (चबूतरा) मूल्य रू० 10,706/-, गाटा सं०-976 (निजी) भूमि पर स्थित श्रीमती रानी देवी पत्नी रामकुमार तिवारी का वृक्ष नीम-1 व्यास -1.60 मूल्य रू० 12,000/- व नींव-1 मूल्य रू० 8,428/- तथा गाटा सं०-974 (नवीन परती) रकवा 201वर्गमी० व उस पर स्थित श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र तिवारी आदि का मकान व दुकान (पक्का)-1 का कुल मूल्य रू० 4,35,482/- सरकारी संस्थान लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात द्वारा सत्यापित किया गया है, जिसमें से 3,45,700/- का अनुमोदन दिनांक-23.04.2019 द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, शेष धनराशि रू० 89,782/- का अनुमोदन किया जाना है। इसके अतिरिक्त श्री बंशीलाल आदि का वृक्ष नीम-1 व्यास-0.50मी० का मूल्य रू० 10,000/- प्रभावित है, परिसम्पत्ति का मूल्यांकन डी०एफ०सी०आई०एल० के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन किया गया है। उक्त परिसम्पत्ति के मूल्यांकन का सत्यापन सरकारी संस्था पी०डब्ल्यू०डी० से कराया गया है, जिसका कुल सत्यापित मूल्य रू० 1,08,916/- है तथा 100 प्रतिशत सोलेशियम सहित रू० 2,17,832/- है तथा वृक्षों का मूल्यांकन जिला मूल्यांकन सूची वर्ष-2019-20 के अनुसार प्रभावित 06 वृक्षों का मूल्य रू० 32,000/- तथा 100 प्रतिशत सोलेशियम सहित रू० 64,000/- निर्धारित है। तदनुसार मूल्य का निर्धारण इस समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उक्त गाटों में से गाटा सं०-977ख रकवा 2000वर्गमी०, गाटा सं०-1002 रकवा 18वर्गमी०, गाटा सं०-974 रकवा 201वर्गमी०, कुल प्रभावित भूमि रकवा 2219वर्गमी० में से गाटा सं०-974 में 25.00वर्गमी० श्री शिवनाथ पुत्र धनीराम व 30.00 वर्गमी० श्री राजेंद्र कुमार पुत्र मेवालाल आदि की पट्टे की भूमि प्रभावित है, जिसके लिये जिलाधिकारी की जिला मूल्यांकन सूची वर्ष-2019-20 के प्रारूप-2 में अंकित अकृषक भूमि की दर 0 से 5 मी० तक चौड़े पक्की सड़क/आर०सी०सी० रोड की दर रू० 4,500/- प्रति वर्गमी० निर्धारित है। शेष भूमि रकवा 2164वर्गमी० ग्राम समाज की भूमि है, जिसके पुनर्ग्रहण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसके कारण मूल्य निर्धारण की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त ग्राम समाज की भूमि पर काबिज व्यक्तियों के सम्बंध में उप जिलाधिकारी, डेरापुर द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों के भवन 15-20 वर्ष से पूर्व के बने हैं तथा उनके पास कोई दूसरा भवन नहीं है। यदि उक्त प्रकृति की भूमि सक्षम अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा धारा-67क राजस्व संहिता अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित की जाती है, तो जिलाधिकारी की जिला मूल्यांकन सूची वर्ष-2019-20 के अनुसार मूल्य का निर्धारण कर लिया जायेगा। अतः पुनः समिति से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।


4. ग्राम-नासर खेड़ा में कोई परिसम्पत्ति व वृक्ष प्रभावित नहीं हैं। भूमि गाटा सं०-149मी० रकवा 280वर्गमी० है, जो श्रेणी-6(2) (आबादी) की भूमि है व गाटा सं०-281मी० (निजी भूमि) रकवा 840वर्गमी० प्रभावित है।


Handwritten signature


तहसीलदार, डेरापुर की जांच आख्या दिनांक-09.09.2019 में अंकित "गाटा सं०-281 स्थित ग्राम-नासर खेड़ा को रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त गाटा संख्या ग्राम नासर खेड़ा की आबादी के 200मी० की त्रिज्या के अंतर्गत है तथा प्रार्थी के खेत के उत्तरी सिरे से चकमार्ग संख्या-280 रेलवे लाईन के किनारे से रेलवे स्टेशन झींझक तक जाता है। जिसको पूर्व में रेलवे द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है"। उक्त आख्या के अनुसार गाटा सं०-281 के लिये सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर रू० 45,00,000/- प्रति हे० न्यायोचित प्रतीत होती है। गाटा सं०-149मि० (आबादी) ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसके कारण मूल्य निर्धारण की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् जिला मूल्यांकन सूची वर्ष-2019-20 में अंकित दर के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जायेगा।


5. यहां तहसीलदार-डेरापुर की आख्या दिनांक-01.02.2019 पठनीय है कि ग्राम-अम्बियापुर के गाटा सं०-147क में रकबा 67.50वर्गमी० के काबिजदार श्री शिवनरेश पुत्र गया प्रसाद के कब्जे की भूमि प्रभावित है। जिस पर स्थित परिसम्पत्ति का विक्रय पत्र डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है, परन्तु इनके कब्जे की भूमि का धारा-67क के अंतर्गत सत्यापन उप जिलाधिकारी, डेरापुर के समक्ष लम्बित है। इसी प्रकार ग्राम-कमालपुर के श्री कैलाश व करन सिंह पुत्रगण दुर्जन का वृक्ष नीम-1 व्यास-1.30मी० प्रभावित है, जिसका स्वामित्व निर्धारण/ सत्यापन भी उप जिलाधिकारी, डेरापुर के समक्ष लम्बित है। उक्त के सम्बंध में सत्यापन आख्याएं प्राप्त होने पर तदनुसार सम्बंधित ग्रामों के सम्बंध में लिये गये उपर्युक्त निर्णय के आलोक में जिला मूल्यांकन सूची-वर्ष-2019-20 के अनुसार मूल्य का निर्धारण कर लिया जायेगा। इसके लिये अलग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।


तदनुसार समिति द्वारा प्रभावित भूमि/परिसम्पत्ति/वृक्षों इत्यादि हेतु दर/मूल्य का निर्धारण एवं अनुमोदन किया जाता है।


  
(बी०एस० जरयाल)  
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक,  
डी०एफ०सी०सी०आई०एल, (रेलवे)  
कानपुर (सचिव)

  
(संजय निगम)  
उप निबन्धक, डेरापुर  
जिला-कानपुर देहात (सदस्य)

  
(दीपाली भार्गव)  
उप जिलाधिकारी, डेरापुर  
जिला-कानपुर देहात (सदस्य)

  
(प्रमोद शंकर शुक्ला)  
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)  
कानपुर नगर (सदस्य)

  
(साहबलाल)  
अपर जिलाधिकारी, (वि/रा०)  
जिला-कानपुर देहात (अध्यक्ष)

अनुमोदित  
  
जिलाधिकारी  
जिला-कानपुर देहात

महोदय

ग्राम रायपु गहरा कंगाली तहसील  
सी. नम्बर 98 पर निर्माणाधीन मठ परिसर  
में मनोज सिंह उग्र तेजसिंह व श्रीमती  
विन्दा देवी पत्नी तेज सिंह निवासी रायपु  
गहरा कंगाली को मठ परिसर में प्रयुक्त  
सदन को शक्ति व मन्दिर एवं कुत्तों को  
जगह उक्त D.F.C.C.I.L. के द्वारा 17 मीटर  
लम्बाई तथा 5.86 मीटर चौड़ाई अर्थात् 99.62  
वर्ग मीटर अधिग्रहित किया जा रहा है जिससे  
मंदिर 7.6 x 5.8 मीटर क्षेत्रफल 99.62 वर्ग मीटर  
में समाहित है। मंदिर का एकमात्र पक्का निर्माण से  
आवधारित है। आस्था सेवा में साधु उचित है।

महोदय

लेखक लक्ष्मण साहू व सहित सावर  
प्रेम है  
21.5.19  
CRS

विन्दा देवी  
श्रीमती  
विन्दा देवी  
21.05.19  
तहसील डेरापुर, जिला-बारा, बिहार

महोदय

श्री. वि. म. म.  
सं. डेरापुर  
कंगाली

21.05.19  
22 जे 19  
तहसीलदार डेरापुर  
कानपुर देहात